न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— रामचन्द्र, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—185/2024/223 आर.टी.एक्ट (2024/185)

1. श्री रतना पुत्र स्व0 घीसा जाति भील निवासी ग्राम रधुनाथपुरा, पटवार हल्का कटसुरा तहसील अरांई जिला अजमेर जरिए विधिक वारिसान
   1/1 प्रहलाद पुत्र स्व0 रतना
   1/2 रामकिशन पुत्र स्व0 रतना
   जाति भील, निवासीयान—ग्राम रधुनाथपुरा, पटवार हल्का कटसुरा तहसील अंराई, जिला अजमेर।

अपीलांट्स

बनाम

1. श्रीमती मन्दौर पत्नि स्व0 श्री देवनारायण भील, पुत्री स्व0 श्री नौरता निवासी बाबूलाल गुनरात, देवनारायण जी के मंदिर के पास चन्द्रवरदायी, जिला अजमेर।
2. श्रीमती प्रेम देवी पत्नि श्री राजकुमार भील पुत्री स्व0 श्री नौरता, निवासी—ग्राम आलोली, जिला अजमेर।
3. श्रीमती नोसर पत्नि स्व0 श्री रामदेव पुत्रवधु स्व0 नौरत जाति भील निवासी ग्राम रधुनाथपुरा पटवार हल्का कटसुरा, तहसील अराई जिला अजमेर।
4. श्री कुलदीप पुत्र स्व0 श्री रामदेव पौत्र स्व0 नौरत जाति भील निवासी ग्राम रधुनाथपुरा पटवार हल्का कटसुरा तहसील अंराई जिला अजमेर।
5. श्री जितेन्द्र पुत्र स्व0 श्री रामदेव पौत्र स्व0 नौरत जाति भील निवासी ग्राम रधुनाथपुरा पटवार हल्का कटसुरा, तहसील अराई जिला अजमेर।
6. श्रीमती शांति देवी पत्नि ग्यारसीलाल भील पुत्री स्व0 श्री रामदेव पौत्री स्व0 नौरत जाति भील निवासी ग्राम केरिया वाया फागी जिला टोंक।
7. श्रीमती इन्द्रा पत्नि राजू भील पुत्री स्व0 श्री रामदेव पौत्री स्व0 नौरत जाति भील निवासी ग्राम रधुनाथपुरा पटवार हल्का कटसुरा(न्यू भील कॉलोनी) तहसील अंराई, जिला अजमेर।
8. श्रीमती सुरज्ञान पत्नि सुरेश जी भील पुत्री स्व0 श्री रामदेव पौत्री स्व0 नौरत जाति भील निवासी—दाता नगर, पंचौली साहब के बंगले के पीछे शास्त्रीनगर रोड जिला अजमेर।
9. श्रीमती चम्पा देवी पत्नि श्री उत्तम भील पुत्री स्व0 श्री रामदेव पौत्री स्व0 नौरत जाति भील निवासी ग्राम लामाना (भील बस्ती) पोस्ट मांगलियावास, जिला अजमेर।
10. श्रीमती रतनी पत्नि स्व0 श्री भवाना पुत्रवधु स्व0 नौरत जाति भील निवासी ग्राम रधुनाथपुरा पटवार हल्का कटसुरा(न्यू भील कॉलोनी) तहसील अंराई, जिला अजमेर।
11. श्रीमती रेशमा पत्नि मुकेश भील पुत्री स्व0 श्री भवाना पौत्री स्व0 नौरत जाति भील निवासी ग्राम रधुनाथपुरा पटवार हल्का कटसुरा(भील कॉलोनी) तहसील अंराई, जिला अजमेर।
12. श्रीमती माया देवी पत्नि श्री महेन्द्र भील, पुत्री स्व0 श्री भवाना पौत्री स्व0 नौरत जाति भील निवासी ग्राम लमाना (भील बस्ती) पोस्ट मांगलियावास जिला अजमेर।
13. श्रीमती सुमित्रा पत्नि स्व0 श्री दुर्गा पूत्रवधु स्व0 भवाना जाति भील निवासी ग्राम रधुनाथपुरा पटवार हल्का कटसुरा(भील कॉलोनी) तहसील अंराई, जिला अजमेर।

14. श्री राकेश पुत्र स्व0 श्री दुर्गा पौत्र स्व0 भवाना, जाति भील निवासी ग्राम रधुनाथपुरा पटवार हल्का कटसुरा(भील कॉलोनी) तहसील अंराई, जिला अजमेर।
15. श्री रणजीत पुत्र स्व0 श्री दुर्गा पौत्र स्व0 भवाना, जाति भील निवासी ग्राम रधुनाथपुरा पटवार हल्का कटसुरा(भील कॉलोनी) तहसील अंराई, जिला अजमेर।
16. सुश्री सुनिता पुत्री स्व0 श्री दुर्गा पौत्री स्व0 भवाना जाति भील निवासी ग्राम रधुनाथपुरा पटवार हल्का कटसुरा(भील कॉलोनी) तहसील अंराई, जिला अजमेर।
17. सुश्री पांची पुत्री स्व0 श्री दुर्गा पौत्री स्व0 भवाना जाति भील निवासी ग्राम रधुनाथपुरा पटवार हल्का कटसुरा(भील कॉलोनी) तहसील अंराई, जिला अजमेर।
18. श्रीमती धमला पत्नि स्व0 श्री सरदार पुत्रवधु स्व0 नौरत जाति भील निवासी ग्राम रधुनाथपुरा पटवार हल्का कटसुरा(सरकारी हास्पीटल के पास) तहसील अंराई, जिला अजमेर।
19. श्री मनोहर पुत्र स्व0 श्री सरदार पौत्र स्व0 नौरत जाति भील निवासी ग्राम रधुनाथपुरा पटवार हल्का कटसुरा तहसील अंराई, जिला अजमेर।
20. श्री सूरज पुत्र स्व0 श्री सरदार पौत्र स्व0 नौरत जाति भील निवासी ग्राम रधुनाथपुरा पटवार हल्का कटसुरा(सरकारी हास्पीटल के पास) तहसील अंराई, जिला अजमेर।
21. श्री सांवरा पुत्र स्व0 श्री सरदार पौत्र स्व0 नौरत जाति भील निवासी ग्राम रधुनाथपुरा पटवार हल्का कटसुरा(सरकारी हास्पीटल के पास) तहसील अंराई, जिला अजमेर।
22. श्रीमती सूरता पत्नि कैलाश भील पुत्री स्व0 श्री सरदार जाति भील निवासी ग्राम राधावल्लवपुरा (भील बस्ती) जिला टोंक।
23. श्रीमती सुरमा पत्नि खुशीराम भील पुत्री स्व0 श्री सरदार जाति भील निवासी–ग्राम ठांटो, जिला टोंक।
24. श्रीमती सीता पत्नि स्व0 श्री हनुमान पुत्रवधु स्व0 नौरत, जाति भील निवासी ग्राम रधुनाथपुरा पटवार हल्का कटसुरा(सरकारी हास्पीटल के पास) तहसील अंराई, जिला अजमेर।
25. श्री काना पुत्र स्व0 श्री हनुमान पौत्र स्व0 नौरत, जाति भील निवासी ग्राम रधुनाथपुरा पटवार हल्का कटसुरा(सरकारी हास्पीटल के पास) तहसील अंराई, जिला अजमेर।
26. सुश्री रेखा पुत्री स्व0 श्री हनुमान पौत्री स्व0 नौरत जाति भील निवासी ग्राम रधुनाथपुरा पटवार हल्का कटसुरा(सरकारी हास्पीटल के पास) तहसील अंराई, जिला अजमेर।
27. सुश्री रूकमा पुत्री स्व0 श्री हनुमान पौत्री स्व0 नौरत जाति भील निवासी ग्राम रधुनाथपुरा पटवार हल्का कटसुरा(सरकारी हास्पीटल के पास) तहसील अंराई, जिला अजमेर।
28. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार अंराई, अजमेर।
29. बैंक ऑफ बडौदा शाखा अंराई जरिए प्रबंधक।

रेस्पोडेन्ट

30. कमला पत्नि स्व0 रामधन पुत्रवधु स्व0 रतना जाति भील, निवासी ग्राम रधुनाथपुरा, पटवार हल्का कटसुरा तहसील अंराई जिला अजमेर।
31. लक्ष्मण पुत्र स्व0 रामधन पौत्र स्व0 रतना जाति भील, निवासी ग्राम रधुनाथपुरा, पटवार हल्का कटसुरा तहसील अंराई जिला अजमेर।
32. रामचन्द्र पुत्र स्व0 रामधन पौत्र स्व0 रतना जाति भील, निवासी ग्राम रधुनाथपुरा, पटवार हल्का कटसुरा तहसील अंराई जिला अजमेर।

तरतीबी रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरूद्ध आदेश दिनांक 21.06.2024 न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, अंराई(अजमेर) राजस्व वाद संख्या 91/2021

उपस्थितः–

1. श्री प्रवीण परमार अभिभाषक अपीलांट
2. श्री अनिल तोलानी अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 29
3. श्री विकास पराशर, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 28
4. रेस्पोडेंट संख्या 1 से 27 व 30 से 32 अनुपस्थित

निर्णय

दिनांकः–25.06.2025

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, अंराई (अजमेर) द्वारा प्रकरण संख्या 91/2021 में पारित आदेश दिनांक 21.06.2024 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण के पूर्वज श्री रतना द्वारा वाद 88, 53, 188 एवं 92 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत किया। वादीगण का वाद दर्ज कर रेस्पोडेंटस/प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया जिस पर विचारण न्यायालय द्वारा विधिवत कार्यवाही करते हुए समस्त रेस्पोडेंटस/प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए प्रकरण में साक्ष्य वादीगण ली जाकर बहस अंतिम सुनी गई तथा दिनांक 21.06.2024 को विचारण न्यायालय द्वारा वादीगण का वाद अपने आदेश दिनांक 21.06.2024 द्वारा खारिज कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, अंराई (अजमेर) द्वारा प्रकरण संख्या 91/2021 में पारित आदेश दिनांक 21. 06.2024 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई। बावजूद सूचना के रेस्पोडेंट संख्या 1 से 27 व 30 से 32 अनुपस्थित।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस अपील में कथन किया कि विवादीत भूमि ग्राम रघुनाथपुरा, पटवार हल्का कटसुरा, तहसील अराई, जिला अजमेर अवस्थित है खसरा संख्या 240 रकबा 02–06–00 बीघा, 252 रकबा 01–15–00 बीघा 253 रकबे 02–18–00 बीधा, 254 रकबा 05–11–00. है जिसमें अपीलाटस के पिता स्व0 रतना एवं उसके भाई स्व0 श्री नौरत उर्फ नौरता पुत्र स्व. श्री धीसा, जाति भील, वर्किंग जमाबंदी सम्वत् 2041 व चौसाला जमाबंदी सम्वत् 2046 से 2049 में संयुक्त रूप से बतौर खातेदारी काबीज काश्त थे। वर्किंग जमाबंदी सम्वत् 2041 व चौसाला जमाबंदी सम्वत् 2046 से 2049 में किये गये खातेदारी इन्द्राज के विपरीत जाकर राजस्व ऐजेन्सी द्वारा जमाबंदी सम्वत् 2050 से 2053, जमाबंदी सम्बत् 2054 से 2056 जमाबंदी सम्वत् 2058 से 2061, जमाबंदी सम्वत् 2065 से 2068 व जमाबंदी सम्वत् 2069 से 2072 में गैरकानूनी एवं त्रुटिपूर्ण इन्द्राज कारित करते हुए राजस्व रिकार्ड में सम्पूर्ण कृषि भूमियों को श्री गौरत उर्फ गौरता पुत्र

घीसा जाति भील के नाम दर्ज कर दिया गया। इस प्रकार राजस्व ऐजेन्सी को बिना सक्षम न्यायालय के निर्णय/डिक्री के किसी भी खातेदार का नाम विलोपीत करने का क्षेत्राधिकार निहित नहीं करता है परन्तु राजस्व ऐजेन्सी द्वारा अपने क्षेत्राधिकार का दुरुपयोग करते हुए गैरकानूनी एवं त्रुटिपूर्ण इन्द्राज किया है। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित करते हुए यह अंकित किया है कि वादी द्वारा वादअधीन खसरों की जमाबंदी संवत् 2050–53 पेश नहीं की हैं। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों से यह पुख्ता तौर पर साबित नहीं हो पाया कि संवत् 2050 53 में वादी रतना का नाम जमाबन्दी से क्यों विलोपित हुआ। यहां यह स्पष्ट किया जाना अति आवश्यक है कि अपीलांट के पिता रतना/वादी द्वारा जमाबदी संवत् 2050 53 पेश कि गई जो विवारण न्यायालय की पत्रावली में प्रर्दश 3 प्रर्दशित की गई। अपीलांटस द्वारा उक्त जमाबंदी संवत् 2050–53 की नई प्रमाणीत प्रतिलिपि न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दी गई है। अपीलांटस/वादीगण के बाद पत्र का मुख्य आधार भी यही है कि वर्किंग जमाबंदी सम्वत् 2041 व चौसाला जमाबंदी सम्वत् 2046 से 2049 में किये गये खातेदारी इन्द्राज के आधार पर अपीलान्टस के पिता रतना खातेदार काश्तकार था परन्तु राजस्व ऐजेन्सी द्वारा गैरकानूनी एवं त्रुटिपूर्ण इन्द्राज कारित करते हुए अपीलांट के पिता रतना का नाम विलोपित करके सम्पूर्ण कृषि भूमि सर्वप्रथम उसके भाई नौरत उर्फ नौरता के नाम दर्ज कर दिया गया तथा नौरत उर्फ नौरता की मृत्यु के बाद उसके वारिसान/रेस्पोडेन्टस के नाम दर्ज कर दिया गया। यदि फिर भी अधीनस्थ न्यायालय को जमाबंदी संवत् 2050 2053 बाबत किसी प्रकार का संशय था तो न्यायालय द्वारा इस बाबत् विस्तृत जांच किये जाने के निर्देश तहसीलदार अंराई को दिये जा कर ही वादपत्र का निस्तारण किया जाना न्यायोचित था। अपीलांटस के पिता वर्किंग जमाबंदी सम्बत् 2041 व चौसाला जमाबंदी सम्वत् 2046 से 2049 में संयुक्त रूप से खातेदार काश्तकार थे। भू–प्रबन्ध विभाग एवं राजस्व एजेन्सी सक्षम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय/डिक्री तथा खातेदार द्वारा रहन, बय, मुन्तकिल किये बिना पूर्व राजस्व रिकार्ड में किये गये इन्द्राजात की पुनर्रावृर्ती पश्चातवर्ती राजस्व रिकार्ड में किये जाने हेतु विधि के तहत बाध्य एवं प्रतिबंधित है, परन्तु भू प्रबन्ध विभाग एवं राजस्व एजेन्सी द्वारा विधि एवं क्षेत्राधिकार के विपरीत जाकर आराजी मुतनाजा बाबत् गैरकानूनी एवं त्रटिपूर्ण इन्द्राज कारित किये गये है जिसका दण्ड अपीलांटस/वादीगण को नहीं दिया जा सकता लेकिन विचारण न्यायालय द्वारा इस विधिक बिन्दू पर गौर किये बिना ही निर्णय पारित कर दिया है जो कि निरस्तनीय है। अपीलांट्स द्वारा न्यायालय के समक्ष विचाराधीन प्रकरण से सम्बंधित समस्त रिकार्ड/दस्तावेजात न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दिये गये है जो कि न्यायालय के न्याय निर्णयन हेतु आवश्यक एवं पर्याप्त है। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा रेरपाडेन्टस/प्रतिवादीगण की विधिवत तामील करवाई गई जिन्हें पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद भी उनके द्वारा वादपत्र का कोई विरोध नहीं किया गया है एवं न ही वे उपस्थित हुए जिस कारण उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई थी। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाए व अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, अंराई (अजमेर) द्वारा प्रकरण संख्या 91/2021 में पारित आदेश दिनांक 21.06.2024 को निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने अपील जवाब बहस में कथन किया कि प्रार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष व हाजा न्यायालय के समक्ष मिथ्या कथनों के आधार पर अपील प्रस्तुत की है जो कि सारहीन होने से खारिज किए जाने योग्य है चूंकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त वाद को न्यायसंगत तरीके से खारिज किए जाने के आदेश पारित किए जा चुके है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय विधि सम्मत है जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होने से उक्त अपील को इसी स्तर पर खारिज किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावे।

6. हमनें अभिभाषक उभयपक्षों द्वारा कि गई बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वर्तमान अपीलांट द्वारा दावा अंतर्गत धारा 53, 88, 89, 188 व 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रतिवादीगण अनुपस्थित रहे व उनकी ओर से कोई जवाब भी प्रस्तुत नहीं किया गया अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण के जवाब बंद किए जाकर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादी की बहस सुनकर उक्त वाद को दिनांक 21.06.2024 को खारिज किया गया। उक्त आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांट द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई है।

अपीलांट द्वारा अपनी अपील के माध्यम से कहे गए कथनों व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया गया तो पाया कि अपीलांट के पूर्वज रतना तथा रेस्पोडेंट के पूर्वज नौरत उर्फ नौरता पुत्रान स्व0 श्री घीसा जाति भील के नाम ग्राम रघुनाथपुरा, पटवार हल्का कटसुरा, तहसील अंराई जिला अजमेर अवस्थित कृषि भूमियां खसरा नम्बर 240 रकबा 2–6–0, खसरा नम्बर 252 रकबा 01–15–00, खसरा नम्बर 253 रकबा 02–18–00, खसरा नम्बर 254 रकबा 05–11–00 उक्त आराजीयात राजस्व रिकार्ड वर्किंग जमाबंदी संवत 2041 एवं जमाबंदी संवत 2046 से 2049 में विधिवत रूप से संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। परंतु जमाबंदी संवत 2050 से 2053, जमाबंदी संवत 2054 से 2056 जमाबंदी संवत 2058 से 2061, जमाबंदी संवत 2065 से 2068 व जमाबंदी संवत 2069 से 2072 के राजस्व रिकार्ड में संपूर्ण कृषि भूमियों को श्री नौरत उर्फ नौरता पुत्र घीसा जाति भील के नाम दर्ज कर दिया गया। इसी आधार पर नौरत उर्फ नौरता एवं उसके पुत्रों के स्वर्गवास के पश्चात विवादित कृषि भूमि का विरासतन नामांतरकरण संख्या 486 दिनांक 16.05.2016 स्वीकृत किया जाकर उक्त संपूर्ण कृषि भूमि को रेस्पोडेंटस/प्रतिवादीगण संख्या 1 से 27 के नाम दर्ज कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में कहीं पर भी इस बात का विवरण नहीं किया गया कि अपीलांट्स के पिता वर्किंग जमाबंदी संवत 2041 व चौसाला जमाबंदी संवत 2046–2049 में संयुक्त रूप से नौरता के साथ खातेदार काश्तकार थे। तो बिना किसी सक्ष्म न्यायालय आदेश के किसी आधार पर उक्त संपूर्ण आराजीयात जमाबंदी संवत 2050 से 2053, जमाबंदी संवत 2054 से 2056 जमाबंदी संवत 2058 से 2061, जमाबंदी संवत 2065 से 2068 व जमाबंदी संवत 2069 से 2072 के राजस्व रिकार्ड में संपूर्ण कृषि भूमियों को श्री नौरत उर्फ नौरता पुत्र घीसा जाति भील के नाम दर्ज कर दिया गया व वर्तमान अपीलांट के पूर्वजों का नाम किस आधार पर विलोपित किया गया इस तथ्य का अधीनस्थ न्यायालय

द्वारा विधिवत परीक्षण नहीं किया जाकर केवल मात्र जमाबंदीयों के अनुसार जो कि श्री नौरत उर्फ नौरता पुत्र घीसा जाति भील के नाम दर्ज थी उस आधार पर बिना न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग किए उक्त निर्णय पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में यह अंकन किया गया है कि वादी/अपीलांट द्वारा वादअधीन खसरों की जमाबंदी संवत 2050–53 पत्रावली के साथ पेश नहीं की है, जबकि वादी/अपीलांट द्वारा अपने वाद पत्र के साथ पत्रावली में प्रदर्श–3 के रूप में जमाबंदी संवत 2050 से 2053 प्रस्तुत की गई थी परंतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन नहीं कर सरसरी तौर पर निर्णय पारित किया गया है। जो कि विधिसम्मत नहीं है। चूंकि उक्त जमाबंदीयों में कहीं पर भी यह स्पष्ट नहीं है कि उक्त संपूर्ण आराजीयात किस प्रकार से नौरत के ही नाम बिना किसी हक त्याग व जरिए बैचान किस आधार पर दर्ज हुई है, क्यों कि उक्त आराजीयात पूर्व में रतना व नौरत के नाम संयुक्त रूप से खातेदारी में दर्ज थी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भी अपने निर्णय में यह फाइण्डिंग नहीं दी गई है कि किस आधार पर संपूर्ण आराजीयात नौरत के नाम दर्ज हुई है। अधीनस्थ न्यायालय को इस बात का परीक्षण व जांच कर राजस्व रिकार्ड में विद्यमान इस इंद्राज की विधिवत जांच कर निर्णय पारित किया जाना चाहिए था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त निर्णय बिना किसी विवेचन व विधिक तर्क के अनुसार पारित किया गया है।

उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक स्वीकार योग्य प्रतीत होती है व अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किए गए निर्णय में त्रुटि कारित हुई है अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय निरस्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

7. अतः अपील अपीलांट्स आंशिक स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, अंराई (अजमेर) द्वारा प्रकरण संख्या 91/2021 में पारित आदेश दिनांक 21.06.2024 को निरस्त किए जाने के आदेश प्रदान किए जाते है तथा पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि वे उक्त राजस्व रिकार्ड में किए गए इंद्राज की विधिवत रूप से जांच परीक्षण करने के पश्चात यदि उसमें किसी प्रकार की इंद्राज दुरूस्ती की आवश्यकता हो तो उसे करने के पश्चात प्रकरण में दावे एवं जवाब दावे के आधार पर तनकीयां निर्मित कर प्रत्येक तनकी का विस्तृत विवेचन करते हुए प्रकरण में पुनः गुणावगुण पर निर्णय पारित करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 25.06.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर